कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट सोनभद्र – (उ0प्र0)

☎ 05446–252020 PIN Code: 231217 Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 2812/ रेनुकूट / 15–117 रेनुकूट,दिनांक,फरवरी, 07 ,2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में कनहर सिचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात कुल 127.1637 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में ।

(ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Irrig/20269/2016)

संदर्भः– 1–क्षेत्रीय सशक्त समिति(आर.ई.सी.)की बैठक दिनांक–26.11.2019 की कार्यवाई (आर.ई.सी. एजेण्डा आईटम 42.5.यू.पी.)

2–भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या– 8बी/यू.पी. /02/31/2018/एफ.सी./425 दिनांक– 28.11.2019

3–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या– 1085/11–सी–एफ0पी0/यू.पी./Irrig /20269/2016 लखनऊ दिनांक– 29.11.2019

4–विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखऊ का पत्र संख्या– भा0स0–166/81–2–2019–800(118)/2017 लखनऊ दिनांक– 17.12.2019

5–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या– 1220/11–सी–एफ0पी0/यू.पी./Irrig /20269/2016 दिनांक–19.12.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में क्षेत्रीय सशक्त समिति (आर0ई0सी0) की बैठक दिनांक–26.11.2019 की कार्यवाई के क्रम में भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी निर्देशो के अनुपालन में प्रभाग की बिन्दुवार अनुपालन आख्या, आवश्यक अभिलेखो सहित निम्नानुसार संस्तुति के साथ अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क्र0सं0	क्षेत्रीय सशक्त समिति (आर0ई0सी0) की दिनांक–26.11.2019 के क्रम में भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी निर्देशो में अंकित विवरण	प्रभाग की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	The test check of KML files of degraded forest areas proposed for Compensatory afforestation reveals some discrepancies which must be sorted	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रेनुकूट वन प्रभाग में 800

	out after detailed analysis to ensure that total areas suitable for plantation does not fall below the total requirement of 1295 hectare.	हे0 अवनत वन भूमि एवं पूर्व में हुई 666 हे0 पर क्षतिपूरक वनीकरण में पुनः Enrichment वनीकरण हेतु प्रस्तावित किया गया है तथा ओबरा वन प्रभाग में 495 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित किया गया है । चयनित क्षेत्र वृक्षारोपण की दृष्टि से पूर्णतया उपयुक्त है जिसके संबंध में उपयुक्तता प्रमाण पत्र पुनः संलग्न है । प्रकरण में 1295 हे0 क्षेत्रफल पर शत प्रतिशत वनीकरण कार्य पूर्ण किया जायेगा ।
2	The submission of CAT Plan is a part of diversion of forest land for Kanhar Irrigation Project sanctioned much earlier and it requires approval of the ministry which should be taken up separately by the State Government .	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक– 03.02.2020 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि," कनहर सिचाई परियोजना का CAT Plan राज्य सरकार से अनुमति हेतु प्रक्रिया पृथक रूप से की जा रही है "
3	"प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानो के अनुसार वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण (Compensatory Afforestation) हेतु चिन्हित / चयनित समतुल्य गैर वन भूमि के प्रकरणो के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या– वी0आइ0ईपी0– 23 / 14–2–2019–190 जी / 2018 दिनांक– 28 जून, 2019 में विहित प्राविधानो के अनुसार कार्यवाही करते हुए आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना में प्रभावित 127.1637 हे0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित समतुल्य गैर वन भूमि 160.7608 की जॉच शासनादेश दिनांक– 28 जून 2019 के अनुपालन में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है । जॉचोपरान्त यह पाया गया कि समतुल्य गैर वन भूमि 160.7608 हे0 निर्विवादित रूप से गैर वन भूमि है जिससे संबंधित ग्रामवार / गाटावार विवरण जो राजस्व विभाग के उप जिलाधिकारी दुद्धी, तहसीलदार दुद्धी एवं प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट व प्रस्तावक विभाग द्वारा सत्यापित है एवं उप जिलाधिकारी दुद्धी / प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न है ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में ।

भवदीय

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट

संख्या–2812अ / सम दिनांकित ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, 17 राणा प्रताप मार्ग, उ0प्र0 लखऊ ।
2–अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड–तृतीय , पिपरी–सोनभद्र को उनके पत्र संख्या–124 दिनांक– 03.02. 2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट